फर्द अहकाम

नियम 20

जर्ये अदालत न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकाम–बारां (राज.)

बउनवान

प्राधिकृत अधिकारी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शाखा एप्पल इन के सामने निर्माण नगर, अजमेर रोड जयपुर

बनाम

संजय पुत्र रामदयाल नि० ख०नं. 575/1136 म०नं. 16 मीणा धाकड़ मोहल्ला मेरमाचाह, रामदयाल व श्रीमती रुकमणी बाई (ऋणी व सहऋणी)

किस्म मुकदमा :– प्रा0पत्र धारा–14, सरफेसी एक्ट,2002(विविध)

मुकदमा नम्बर :– 08/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर वता अहकाम जो इस हुक्म को तामील मेजरी हुए
13/05/2019	प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी, ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड जिसकी शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर (राज.) द्वारा जर्ये अभिभाषक श्री कुलदीप सिंह जादोन ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड ने अप्रार्थी श्री संजय पुत्र श्री रामदयाल निवासी ख0नं0 575/1136, म0नं0 16, मीणा धाकड मोहल्ला, ग्राम मेरमाचाह, पंचायत समिति,अटरू तालुक जिला–बारां **(ऋणी)** श्री रामदयाल पुत्र श्री प्रभूलाल निवासी ख0नं0 575/1136, म0नं0 16, मीणा धाकड मोहल्ला, ग्राम मेरमाचाह, पंचायत समिति,अटरू तालुक जिला–बारां एवं श्रीमती रूकमणीबाई पत्नी रामदयाल निवासी– ख0नं0 575/1136, म0नं0 16, मीणा धाकड मोहल्ला, ग्राम मेरमाचाह, पंचायत समिति,अटरू तालुक जिला–बारां **(सहऋणी)** को जमानत प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति को बन्धक रखकर कुल 4,85,000/–रूपये का ऋण दिनांक 24.07.2017 को उपलब्ध कराया गया था। अप्रार्थी को दिनांक 31.08.2018 को डिफाल्डर घोषित किया गया है। अप्रार्थी ऋण चुकाने में असफल रहा है, दिनांक 31.08.2018 तक 5,15,630/–रूपये एंव इसके पश्चात् शेष, ब्याज व अन्य खर्चे राशि बकाया है। अतः कार्यवाही The Securitisation and Reconstuction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा–2 के तहत पेश कर अपने पास बतौर प्रतिभूति रहन रखी हुयी उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु लिये पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

13/07/2019

प्रार्थनापत्र पेश होने पर प्रकरण में सुयोग्य बैंक के प्रतिनिधि को सुना तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। इससे पाया जाता है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त बैंक से बन्धक सम्पित्त रखकर ऋण लिया है। अप्रार्थी ऋण राशि जमा कराने में असफल रहा है। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी(अप्रार्थी) एवं सहऋणी को दिनांक 14.09.2018 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, जो अप्रार्थी ऋणी को प्राप्त हुआ है। बंधक सम्पत्तियॉ इसी जिले से संबंधित है। अतः The Securitisation and Reconstuction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा–14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर प्रकरण किसी भी न्यायालय में जेरकार एवं स्थगन नहीं है। यदि विवाद है कि तो बैंक इस आदेश की कियान्विति नहीं कर, विवाद का संक्षिप्त विवरण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेंगे। यदि विवाद नहीं है तो उक्तानुसार प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गयी सम्पत्ति– **खसरा नम्बर 575/1136, मं0नं0 16, मीणा धाकड मौहल्ला ग्राम एवं ग्राम पंचायत मेरमाचाह, पंचायत समिति, अटरू जिला–बारां में स्थित है जो श्री रामदयाल पुत्र श्री प्रभूलाल के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 1575 वर्गफुट है।** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक जर्ये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बारां तथा प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश पृथक से जारी किया जाकर, पत्रावली में संलग्न किया गया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील अभिलेख भण्डार में प्रविष्ठ हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner